प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट ' पैंतालीस '

[15/12/2015]

प्रश्न सं. [क्र. 370]

1/2

परिशिष्ट

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 370 माननीय विधायक श्री चम्पालाल देवड़ा
सदन में बैठक दिनांक 15.12.2015

~~ऊर्जा क्षेत्र की~~ कृषकों हेतु विभिन्न सुविधा संबंधी योजनाएं

1. कृषकों को नवीन स्थाई पम्प कनेक्शन देने की अनुदान योजनाः—

कृषकों को नवीन स्थायी पम्प कनेक्शन प्रदान करने हेतु राज्य शासन द्वारा कृषक अनुदान योजना लागू की गई है। इस योजना अंतर्गत वर्तमान में लघु एवं सीमांत कृषक (2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले) को रू 6500 तथा अन्य कृषकों के लिए रू 10400 प्रति हार्स पावर की दर से राशि जमा करनी होती है। इस योजना में प्रत्येक कृषक हेतु रू 1.5 लाख की राशि का प्राक्कलन स्वीकृत करने की सीमा निर्धारित की गई है तथा प्राक्कलन लागत एवं कृषक द्वारा प्रति हार्सपावर भुगतान की गई राशि के अंतर की राशि का भुगतान राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को अनुदान के रूप में किया जाता है।

2. स्थाई कृषि पम्प फ्लेट रेट योजनाः—

स्थाई कृषि पम्प उपभोक्ताओं के लिए फ्लेट रेट आधारित बिलिंग योजना दिनांक 01 अप्रैल 2013 से लागू की गई, जिसके अंतर्गत कृषि उपभोक्ताओं को वर्ष में 2 बार (छः माही आधार पर) समान किश्तों में 1200 रूपये प्रति हार्सपावर वार्षिक बिल देने का प्रावधान किया गया है। नियामक आयोग द्वारा निर्धारित टैरिफ के अनुसार विद्युत देयक की शेष राशि राज्य शासन के द्वारा अनुदान के रूप में विद्युत वितरण कंपनियों को दी जाती है।

3. किसान समृद्धि योजनाः—

कृषि उपभोक्ताओं पर बिजली बिलों की बकाया राशि के निराकरण हेतु राज्य शासन द्वारा कृषक समृद्धि योजना लागू की गई, इस योजना के अंतर्गत दिनांक 28 फरवरी, 2013 की स्थिति में कृषि उपभोक्ताओं पर बकाया राशि में से सरचार्ज की राशि वितरण कंपनियों द्वारा माफ की गई तथा मूल बकाया राशि का 50 प्रतिशत किसान द्वारा जमा कराने पर समान राशि राज्य शासन द्वारा वितरण कंपनियों को दी जाती है। इस योजना में कृषकों को अधिकतम, 10, छः माही किश्तों में बकाया राशि जमा करने की सुविधा प्रदान की गई है।

4. अनुसूचित जाति एवं जन जाति के कृषि उपभोक्ताओं को सुविधाः—

अनुसूचित जाति एवं जन जाति के 1 हेक्टेयर तक की भूमि वाले 5 हार्स पॉवर तक के कृषि पंप उपभोक्ताओं को निःशुल्क विद्युत प्रदाय किया जा रहा है। इसके एवज् में राज्य शासन द्वारा विद्युत वितरण कंपनियों को सब्सिडी प्रदान की जा रही है।

2/2

अतारांकित प्रश्न क्रमांक 370
माननीय विधायक श्री चम्पालाल देवड़ा
सदन में बैठक दिनांक 15/12/2015.

परिशिष्ट–2

गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों हेतु योजना

(1) दीन बंधु योजना :– म.प्र.शासन द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार जून, 2013 की स्थिति में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले (अंत्योदय परिवारों सहित) उपभोक्ताओं की बकाया राशि सभी प्रभारों सहित माफ करने का प्रावधान है। माह जुलाई 2013 एवं उसके पश्चात् के बिल समय–समय पर जारी टैरिफ प्रावधान के अनुसार देय होंगे।

(2) अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को प्रतिमाह 25 यूनिट निःशुल्क विद्युत की सुविधा दी जा रही है।

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में सभी श्रेणी के हितग्राहियों को निःशुल्क बी.पी.एल. कनेक्शन प्रदान किये जा रहे हैं।

(हस्ताक्षर)
अनुभाग अधिकारी
म.प्र. शासन, ऊर्जा विभाग,
मंत्रालय, भोपाल